**दि ओरिएंटल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी लिमिटेड**पंजीकृत कार्यालय : ‘’ओरिएंटल हाउस’’, पो. बा. नं. 7037,

ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्‍ली-110002

**गृहस्‍वामियों के लिए बीमा पॉलिसी**

इस पॉलिसी की अनुसूची में नामित बीमाकृत व्‍यक्ति ने दि ओरिएण्‍टल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्‍चात् ‘कम्‍पनी’ कहा गया है ) को एक प्रस्‍ताव और घोषणा की है जो इस संविदा के मूल आधार होंगे तथा जिन्‍हें इस संविदा में निहित बीमें के लिये समाविष्‍ट माना जायेगा और इसमें कथित प्रीमियम का भुगतान कर दिया है या अदा करना स्‍वीकार किया है ।

इसमें अन्‍तर्विष्‍ट या पृष्‍ठांकित निर्बन्‍धनों शर्तो और अपवादों के अधीन रहते हुए कम्‍पनी इसके द्वारा यह करार करती है कि यदि बीमाकृत व्‍यक्ति को इसमें कथित बीमे की निहित अवधि के दौरान किसी सबध से वर्णित सम्‍पत्ति को हानि या क्षति पहुँचती है या उसके सम्‍बन्‍ध में देयता उत्‍पन्‍न होती है‍ जिसके सम्‍बन्‍ध में बीमाकृत व्‍यक्ति ने बीमे का भुगतान दिया है अथवा उसका भुगतान स्‍वीकार किया है अथवा बीमाकृत व्‍यक्ति को या भागीदारों को या निदेशकों को या प्रबन्‍धगण को या बीमाकृत व्‍यक्ति के पास स्‍थाई रूप से काम करने वाले कर्मचारी को शारीरिक चोट लगती है जैसा कि इसमें वर्णित किया गया है तथा कम्‍पनी ने बीमें के नवीकरण के लिये अपेक्षित प्रीमियम स्‍वीकार कर लिया है अथवा स्‍वीकार कराना मान लिया है तो कम्‍पनी ऐसी हानि अथवा ऐसी क्षति की रकम की हानि अथवा उद्भुत देयता अथवा विनिर्दिष्‍ट असुविधाओं की रकम की अदायगी करेगी, किन्‍तु कम्‍पनी की देयता पॉलिसी की किसी एक अवधि के विनिर्दिष्‍ट प्रत्‍येक मद के सामनें लिखित राशि से अधिक नही होगी ।

सामान्‍य शर्ते :

1. **सूचना :** इस पॉलिसी के अन्‍तर्गत अपेक्षित प्रत्‍येक सूचना तथा पत्र व्‍यवहार कम्‍पनी के उस कार्यालय को लिखित रूप में दी जायेगी जिसके माध्‍यम से यह बीमा किया गया है ।
2. **अपवर्जन :**- किसी महत्‍तवपूर्ण विवरण की गलत बयानी अपवर्णन या उसे प्रकट न किये जाने की दशा में यह पॉलिसी निरर्थक हो जायेगी और अदा किया गया सारा प्रीमियम कम्‍पनी को शमपृहत(जब्‍त) हुआ समझा जायेगा ।
3. **उचित सावधानी :** बीमाकृत व्‍यक्ति बीमित सम्‍पत्ति को किसी हानि या क्षति से बचाने के लिए सभी उचित उपाय करेगा । बीमाकृत व्‍यक्ति इस आशय की उचित सावधानी करेगा कि केवल सक्षम कर्मचारी ही नियुक्‍त किए जाए और सभी दुर्घटनाओं तथा हानि/क्षति के निवारण के सभी उचित उपाय करेगा और सभी कानूनी या अन्‍य विनियमों का पालन करेगा ।
4. **रद्दीकरण :** कम्‍पनी किसी भी समय सात दिन की लिखित सूचना देकर इस पॉलिसी को रद्द कर सकती है और ऐसी दशा में कम्‍पनी बीमे की समाप्‍त न हुई अवधि के लिए प्रीमियम का अनुपातिक भाग बीमाकृत व्‍यक्ति को वापस कर देगी । यह पॉलिसी बीमाकृत व्‍यक्ति के अनुरोध पर भी किसी भी समय रद्द की जा सकती है एसी दशा में कम्‍पनी निम्‍न तालिका के अनुसार उस समय लागू अल्‍प अवधि दरों के अनुसार पीमियम अपने पास रखेगी बशर्ते इस तरह के मामले में कोई दावे की सूचना दर्ज न की गई हो और कोई राशि वापस न की गई हो :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 15 दिन | वार्षिक दर का 10 % |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 1 माह | वार्षिक दर का 15 % |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 2 माह | वार्षिक दर का 30 % |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 3 माह | वार्षिक दर का 40 % |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 4 माह | वार्षिक दर का 50 % |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 5 माह | वार्षिक दर का 60 % |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 6 माह | वार्षिक दर का 70 % |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 7 माह | वार्षिक दर का 75 % |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 8 माह | वार्षिक दर का 80% |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए नही | 9 माह | वार्षिक दर का 85 % |
| जोखिम की अवधि से अधिक के लिए  | 9 माह | वार्षिक प्रीमियम राशि  |

1. **दावे की प्रक्रिया** : (1) किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जिसमें इस पॉलिसी के अधीन दावा उत्‍पन्‍न होना है या उत्‍पन्‍न होने की संभावना है बीमाकृत व्‍यक्ति निम्‍नलिखित कार्यवाही करेगा ।
2. चोरी होने की दशा में पुलिस के पास तुरन्‍त शिकायत दर्ज करायेगा और दोषी व्‍यक्ति या व्‍यक्तियों को पकडवानें और खोई हुई सम्‍पत्ति को पुन: प्राप्‍त करने के लिए सभी उपाय करेगा ।
3. दावे की सूचना कम्‍पनी को तुरन्‍त देगा और उसके पश्‍चात् चौदह (14) दिनों के अन्‍दर कम्‍पनी को अपने खर्चे पर हानि या क्षति की रकम के विस्‍तृत विवरण के साथ दावा सिद्ध करने के लिए ऐसी स्‍पष्‍टीकरण और साक्ष्‍य देगा जिनकी कम्‍पनी उचित रूप से अपेक्षा करें ।

(ii) यदि अनुसू‍ची में वर्णित बीमाकृत व्‍यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्‍य की कोई शारीरिक चोट लगती है और उसके सम्‍बन्‍ध में पॉलिसी के अन्‍तर्गत कोई दावा हो या तो सकता हो तो कम्‍पनी को उसके सम्‍बन्‍ध में यथासम्‍भव तुरन्‍त लिखित सूचना दी जायेगी । परन्‍तु ऐसी सूचना चोट लगने की तारीख से 14 दिनों के अन्‍दर अवश्‍य दे दी जाए । यदि इस पॉलिसी के अन्‍तर्गत शामिल किये गये बीमाकृत व्‍यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्‍य की मृत्‍यु हो जाती है तो मृत्‍यु की सूचना बीमाकृत व्‍यक्ति या उसके परिवार के सदस्‍य समनुदेशती के द्वारा तुरन्‍त दी जायेगी । आंख की ज्‍योति की हानि या अंगों के कटने की दशा में लिखित सूचना कम्‍पनी को ऐसी आंख की ज्‍योति या अंग कटने के एक कैलेन्‍डर माह के अन्‍दर अवश्‍य देनी होगी । सभी प्रमाण-पत्र जानकारी और सबूत चाहे वे किसी इलाज करने वाले चिकित्‍सक या अन्‍रूथा कम्‍पनी द्वारा अपेक्षित हो, कम्‍पनी को बीमाकृत व्‍यक्ति या उसके परिवार के सदस्‍यों या विविध प्रतिनिधियों/समनुदेशतियों के खर्चे पर दी जायेगी तथा उन्‍हें कम्‍पनी द्वारा निर्धारित फार्म तथा/अथवा अन्‍य किसी भी प्रकार के कागज पर देना होगा । चोट खाया हुआ व्‍यक्ति दुर्घटना होने के बाद इसके सम्‍बन्‍ध में पॉलिसी के अन्‍तर्गत यदि दावा उत्‍पन्‍न होता हो तुरन्‍त दावा समबन्‍धी इलाज करायेगा और ऐसा न करने पर उसके फलस्‍वरुप उद्भूत देयता कम्‍पनी की नहीं होगी ।

(iii) बीमाकृत व्‍यक्ति को तथा किसी चोट लगने या उसे निशकक्‍तता होने तथा उसकी मुत्‍यु होने की अवस्‍था में कम्‍पनी की ओर से जब तक कम्‍पनी का कोई चिकित्‍सक या एजेन्‍ट क्रमश: उसकी जांच करना चाहे तथा उसके शव की परीक्षा करना चाहे तो उसे ऐसा करने दिया जायेगा । समय-समय पर ऐसे सभी सबूत कम्‍पनी को दे दिए जायेंगे जिनकी वह अपेक्षा करे तथा आवश्‍यकता पडने पर शव परीक्षा की जांच की रिपोर्ट लिखित में मांग करने के चौदह (14) दिन के समय में दे दी जायेगी तथा आंख की ज्‍योति चले जाने सम्‍बन्‍धी दावा होने पर बीमाकृत व्‍यक्ति अपने खर्चे पर उसकी शल्‍य चिकित्‍सा या इलाज करायेगा जैसा कि उचित रुप से वांछित हो ।

(IV) बीमाकृत व्‍यक्ति किसी घटना के घटने की, जिससे इस पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्‍पन्‍न हुआ हो या उसके होने की संभावना हो, तत्‍काल सूचना कंपनी को देगा, पर दावे की बाबत प्रत्‍येक लिखित सूचना या मौखिक सूचना कंपनी को तत्‍काल देगा और बीमाकृत व्‍यक्ति के विरूद्ध जारी किया गया समादेश (रिट) समन या शुरू की गई अन्‍य कानूनी कार्यवाही की सूचना कंपनी को भेजेगा तथा कंपनी को आवश्‍यक जानकारी व सहायता देगा जिससे कि कंपनी दावे का निपटान या प्रतिरोध या कानूनी कार्रवाई कर सके। बीमाकृत व्‍यक्ति किसी भी दावे को पूरा करने के लिए कंपनी की लिखित सहमति के बिना कोई खर्च नहीं करेगा तथा ऐसी सहमति के बिना न कोई बातचीत करेगा, न कोई अदायगी करेगा, न कोई भुगतान करेगा और न ही कोई दावा मानेगा या अस्‍वीकार करेगा ।

6. **अंशदान** : अंशदान द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत शामिल की गई हानि, क्षति या देयता या खर्च के संबद्ध में उसी हानि, क्षति,देयता या खर्च के संबंध में कोई और पॉलिसी हो, चाहे बीमाकृत व्‍यक्ति ने उसका बीमा स्‍वंय कराया हो या नहीं तो इस पॉलिसी की सीमाओं के अधीन यह पॉलिसी केवल उसकी हानि,क्षति, देयता या खर्च का उतना भाग देगी जो ऐसी दूसरी पॉलिसी के अंतर्गत ऐसी हानि,देयता या खर्चे से अधिक हो और अंतर्गत वसूली योग्‍य न हो।

7. **कपट:** यदि पॉलिसी के अधीन कोई कपटपूर्ण दावा किया जाता है या इस पॉलिसी के अधीन बीमाकृत व्‍यक्ति द्वारा या उसकी ओर किसी व्‍यक्ति द्वारा कपटपूर्ण तरीकों या उपायों का प्रयोग किया जाता है तो इस पॉलिसी के अधीन सभी प्रसुविधाएं समपृहत हो जायेंगी।

8. **क्षतिपूर्ति** :- कंपनी को इस बात का विकल्‍प होगा कि यह संपत्ति या परिसर या उसके किसी भाग को हुई हानि या क्षति की रकम का नकद भुगतान करने के स्‍थान, संपत्ति या परिसर या उसके किसी भाग को किसी और बीमाकर्ता के साथ मिलकर उसे पुन: स्‍थापित, प्रतिस्‍थापित या उसकी मरम्‍मत करवा ली किंतु कंपनी उसे यथावत रूप में या पूरी तरह पुन:स्‍थापित करने के लिए बाध्‍य नहीं होगी, फिर भी उतना करने के लिए बाध्‍य होगी जितना परिस्थितियों में करना संभव हो और ऐसा उचित रूप से पर्याप्‍त रीति में हो। परंतु किसी भी दशा में कंपनी पुन: स्‍थापित करने में उसे अधिक खर्च करने के लिए बाध्‍य नहीं होगी जितना ऐसी संपत्ति को उस समय पुन: स्‍थापित करने में खर्च होता जब ऐसी हानि या क्षति हुई थी जितनी राशि का बीमा किया है उससे अधिक खर्च करने के लिए कंपनी बाध्‍य नहीं होगी ।

9. **औसत:** यदि इसके द्वारा बी‍मित संपत्ति की कीमत हानि या क्षति होने के समय कुल मिलाकर उसकी बीमित रकम से अधिक हो तो बीमाकृत व्‍यक्ति को उसके अंतर के लिए स्‍वंय का बीमाकर्ता माना जाएगा और वह तदनुसार हानि या क्षति का अनुपातिक भाग वहन करेगा । यदि पॉलिसी में एक से अधिक मदें हैं तो प्रत्‍येक मद अलग-अलग इस शर्त के अधीन होंगी।

**10. माध्‍यस्‍थतम** : यदि इस पॉलिसी के अधीन अदा की जाने वाली राशि के विषय में कोई मतभेद(दायिता अन्‍यथा मान्‍य होने पर) हो तो ऐसे मतभेद को ( अन्‍य सभी मदों से निर्पेक्ष होकर) मतभेद रखने वाले पक्षों द्वारा लिखित में नियुक्‍त मध्‍यस्‍थ के पास निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा अथवा यदि कोई भी एक पक्ष सफल मध्‍यस्‍थ के लिए 30 दिनों के भीतर राजी न हों तो ( ऐसे मतभेद को) तीन मध्‍यस्‍थों के पैनल को भेजा जाएगा जिसमें दो मध्‍यस्‍थ सम्मिलित होंगे, एक-एक मध्‍यस्‍थ दोनों विवादित/मतभेद पक्षों से होगा तथा तीसरा मध्‍यस्‍थ दोनों मध्‍यस्‍थों द्वारा नियुक्ति किया जाएगा तथा ऐसी नियुक्ति समय-समय पर यथा-संशोधित और उस समय लागू मध्‍यस्‍था अधिनियम, 1996 के अधीन होगा।

यह स्‍पष्‍टत: करार किया जाता है, तथा मान लिया जाता है कि यदि कंपनी ने इस पॉलिसी के अधीन या संबंध में दावे का विरोध किया है या दायिता स्‍वीकार नहीं की हे, तो कोई मतभेद या विरोध मध्‍यस्‍थता के लिए नहीं भेजा जा सकता जैसा कि इससे पहले का प्रावधान किया गया है।

इसके द्वारा अभिव्‍यक्‍त रूप से यह निर्देश किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि इस पॉलिसी के अधीन कोई कार्रवाई अथवा मुकदमा करने के अधिकार से पहले शर्त होगी कि हानि अथवा क्षति की राशि के संबंध में ऐसे मध्‍यस्‍थ/मध्‍यस्‍थों अथवा द्वारा अधिनिर्णायक किया गया पंचाट पहले ही प्राप्‍त कर लिया जाए ।

11 **अस्‍वीकरण:-** इसके द्वारा यह भी अभिव्‍यक्‍त रुप से करार किया की जाता है तथा घोषणा कि जाती है कि यदि कम्‍पनी बीमाकृत व्‍यक्ति के किसी दावे के बारे में देयता अस्‍वीकार करती है और इस प्रकार दावे की बाबत देयता अस्‍वीकार करने की तारीख के 12 कैलेण्‍डर महीनों के अन्‍दर में देयता अस्‍वीकार करती है और इस प्रकार दावे की बाबत देयता अस्‍वीकार करने की तारीख से 12 कैलेण्‍डर महीनों के अन्‍दर न्‍यायालय में मुकदमा नहीं किया जाता है तो दावे को सभी उद्देश्‍यों के लिए परित्‍याग किया गया माना जायेगा और वह इसके बाद इस पालिसी के अधीन वसूली योग्‍य नहीं होगा ।

# 12. इस पालिसी के अन्‍तर्गत देय राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्‍याज देय नहीं होगा ।

13. **भौगोलिक क्षेत्र** :- इस पॉलिसी का भौगोलिक क्षेत्र अनुभाग 8 (व्‍यक्तिगत दुर्घटना) एवं अनुभाग 10 (यात्री सामान) को छोड़कर संपूर्ण भारत होगा।

14 वैधानिक एवं अन्‍य सुरक्षात्‍मक आवश्‍यकताएं:-बीमाधारक सदैव सभी वैधानिक और अन्‍य नियमों का अनुपालन करेगा।

15 **निबन्‍धनों तथा शर्तों का पालन** : इस पालिसी के अधीन कोई भुगतान करने की कम्‍पनी की देयता के लिए इस आशय के वास्‍ते ये पूर्व शर्त होगी कि इस पालिसी के निबन्‍धनों, शर्तों और पृष्‍ठांकनों का उचित पालन उस सीमा तक किया जाए जहां तक बीमाकृत व्‍यक्ति द्वारा किसी बात के लिए जाने या उनका पालन किए जाने का सम्‍बन्‍ध है

 **साधारण अपवाद**कम्‍पनी की निम्‍नलिखित के सम्‍बन्‍ध में देयता नहीं होगी :1. हानि या क्षति देयता या खर्च जो युद्ध, विदेशी शत्रु की कार्यवाही, (चाहे युद्ध पोषित किया गया हो या न किया गया हो) गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत, सैनिक शक्ति या सिविल अशान्ति या लूट या उससे सम्‍बन्धित लूटमार के कारण प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रुप से हुए हो या उसके माध्‍यम से या उसके परिणामस्‍वरुप हुए हों ।2. मूल्‍य ह्रास या टूट-फूट में हानि या क्षति ।3. किसी भी प्रकार या वर्णन की परिणामी हानि जब तक कि विशेष तौर पर आवरित न हो।

4. प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रुप से परमाणु शस्‍त्र सामग्री के अथवा उसके कारण या उससे योगजनित या उद्भुत हानि या क्षति ।5. आइनीकरण विभव या रेडियो धर्मिता के दूषण, ईंधन को जलाने से प्राप्‍त परमाणु अपचय के फलस्‍वरुप या अप्रत्‍यक्ष रुप से उनसे योगजनित या उद्रभूत हुई हो । इस अपवर्जत के एकमात्र प्रयोजन के लिए ‘’परमाणुईंधन के दहन’’ में परमाणु के स्‍वत: विखण्‍डन से होने वाली प्रक्रिया भी शामिल है ।

6.किसी भी विधिवत गठित प्राधिकरण द्वारा स्‍थाई या अस्‍थाई अधिग्रहण के परिणामस्‍वरूप बेदखली या आदेश के कारण हानि, चोट या क्षति ।7. बीमित व्‍यक्ति की ओर से जानबूझकर किए गए लापरवाही के कृत्‍य से या जानबूझकर महतीलापरवाही के कारण उत्‍पन्‍न हानि, चोट या क्षति।

**खण्‍ड 1: भवन तथा उसमें रखी वस्‍तुएं (आभूषण तथा मूल्‍यवान वस्‍तुओं को छोडकर)**

# कम्‍पनी बीमाकृत व्‍यक्ति की बीमा किए गए भवन/भवन में रखी वस्‍तुओं की उसके परिसर में होने वाली हानि अथवा क्ष्‍ाति के सम्‍बन्‍ध में क्षतिपूर्ति करेगी ।(क) अग्नि, तडित, घरेलू उपकरणों में गैस विस्‍फोट ।(ख) उपकरणों, पानी के टैंकों अथवा पाईपों के फटने और पानी का अतिरेक ।(ग) विमान या उससे गिरी हुई वस्‍तुएं ।(घ) बलवा, हडताल या दुर्भावनापूर्ण कार्य ।(ड) भूकम्‍प से उद्रभूत अग्नि तथा/अथवा झटका, जमीन का धसना और जमीन का ढलना लैण्‍सलाइड, (राक्‍सलाइड सहित) क्षति ।(च) बाढ, जल की गैर निकासी (इननडेशन) तूफान प्रचण्‍ड तूफान, झझावात, प्रभंजन, बवंडर या चक्रवात ।(छ) आघात होने से क्षति ।(ज्) अवतलन तथा भूसखलन रॉक-स्‍लाइ‍ड सहित(झ) मिसाईल परीक्षण संचालन

(त्र) प्रतिस्‍थपित स्‍वचलित स्प्रिंकलर से रिसाव

(ट) बुश फायर

# विस्‍तार: इस पालिसी के अन्‍तर्गत बीमा भवन में रखी उन अस्‍थाई तौर से हटाई गई वस्‍तुओं को भी लागू होता है जिनका अन्‍यथा बीमा नहीं कराया गया है और जिन्‍हें बीमाकृत व्‍यक्ति या उसके परिवार के स्‍थायी रुप से उसके साथ रहने वाले सदस्‍य द्वारा यात्रा सामान के रुप में भारत में कहीं भी ऐसे परिसर में ले जा कर बतैार अस्‍थाई घर में रखा गया हो या ऐसे परिसर में सुरक्षित अभिरक्षण में रखा गया हो जब कि वह अपने परिसर में किसी एक अवधि या अवधियों के दौरान अस्‍थाई तौर से गैरहाजिर हो । इस प्रकार अस्‍थाई तौर से गैरहाजिर रहने की अवधि किसी एक बीमे की अवधि के दौरान कुल मिलाकर एक सौ बीस दिन (120) से ज्‍यादा नहीं होगी

# विशेष अपवाद : कम्‍पनी की निम्‍नलिखित के सम्‍बन्‍ध में देयता नहीं होगी :-

1. उपभोग्‍य प्रकृति वाली वस्‍तुओं को हुई हानि या क्षति ।
2. धनराशि, प्रतिभूतियों, टिकटों, टिकट संग्रहों, कच्‍चा सोना-चॉंदी, पशुधन, मोटरवाहनों तथा पैडल साईकिलों की हुई हानि या क्षति ।
3. प्‍लेट-ग्‍लास को क्षति
4. विलेखों, बन्‍ध पत्रों, विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, शेयर तथा स्‍टाक प्रमाण-पत्रों, व्‍यवसाय सम्‍बन्‍धी लेखा खातों, पाण्‍डलिपियों, किसी भी प्रकार के दस्‍तावेजों, गैर जडें मूल्‍यवान पत्‍थरों तथा आभूषणों व मूल्‍यवान वस्‍तुओं को हुई हानि या क्षति जब तक कि इनके बारे में खास तौर से जिक्र न किया गया हो ।
5. बीमित स्‍वंय ही वहन करेगा -1.पॉलिसी के अंतर्गत दावा स्‍वीकार्य होने पर प्राकृतिक आपदाओं से उत्‍पन्‍न दावे में प्रत्‍येक दावे और प्रति हानि/क्षति की स्थिति में दावा राशि का 5 प्रतिशत तथा न्‍यूनतम राशि रू. 10,000/- ( दस हजार केवल) के अधीन है।

2. पॉलिसी के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के अलावा अन्‍य आवरित आपदाओं से उत्‍पन्‍न हुए दावे की स्थिति में प्रत्‍येक हानि/क्षति पर रू. 10,000/- ( दस हजार केवल)।

**विशेष शर्तें:**

फर्नीचर को छोडकर किसी और वस्‍तु की कीमत राशि के 05 प्रतिशत (पॉंच प्रतिशत) से ज्‍यादा नहीं समझी जायेगी जब तक कि इसकी कीमत के बारे में अलग से विनिर्देश या उसकी कीमत का उल्‍लेख न किया गया हो ।

**औसत सम्‍बन्‍धी शर्तें** : यदि आग लगने के समय या किसी और बीमित जोखिम द्वारा विनाश या क्षति के समय समपत्ति की कुल कीमत मिलाकर बीमित राशि से अधिक होगी तब बीमाकृत व्‍यक्ति को सम्‍पत्ति की कीमत तथा बीमित राशि के अन्‍तर की राशि का स्‍वयं बीमाकर्त्‍ता माना जायेगा और हानि का आनुपातिक भाग स्‍वयं वहन करेगा । शर्त यह है कि ऐसी आग लगने के समय या ऐसी विनाश और हानि के शुरु होने के समय बीमित राशि ऐसी बीमा कराई गई सम्‍पत्ति का कुल मिलाकर 85 / (पचासी प्रतिशत) है, तब इस शर्त का कोई उद्देश्‍य या प्रभाव नहीं होगा ।

**खण्‍ड-।।गृह –भेदन**

**( धनराशि तथा मूल्‍यावान वस्‍तुओं को छोड़कर )**

**II अ चौर्य(लारसेनी) तथा चोरी सहित गृहभेदन**

कंपनी बीमाकृत व्‍यक्ति को स्‍वउपयोगी हेतु किए गए स्‍तेय या चोरी सहित गृहभेदन से इसके परिसर में रखी हुई वस्‍तुओं को हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति करेगी।

**विस्‍तार :-** इस पालिसी के अन्‍तर्गत बीमा भवन में रखी उन अस्‍थाई तौर से हटाई गई वस्‍तुओं पर भी लागू होता है जिनका अन्‍यथा बीमा नहीं कराया गया है और जिन्‍हें बीमाकृत व्‍यक्ति या उसके परिवार के स्‍थायी रुप से उसके साथ रहने वाले सदस्‍य द्वारा यात्रा सामान के रुप में भारत में कहीं भी ऐसे परिसर में ले जा कर बतैार अस्‍थाई घर में रखा गया हो या ऐसे परिसर में सुरक्षित अभिरक्षण में रखा गया हो जब कि वह अपने परिसर में किसी एक अवधि या अवधियों के दौरान अस्‍थाई तौर से गैरहाजिर हो । इस प्रकार अस्‍थाई तौर से गैरहाजिर रहने की अवधि किसी एक बीमे की अवधि के दौरान कुल मिलाकर एक सौ बीस दिन (120) से ज्‍यादा नहीं होगी । शर्त यह है कि कम्‍पनी की देयता ऐसी अस्‍थाई तौर से हटाई गर्इ वस्‍तुओं की कीमत इस खण्‍ड के अन्‍तर्गत कुल बीमित राशि के 1/10 से अधिक नहीं होगी ।

**विशेष अपवाद** : कम्‍पनी की निम्‍नलिखित के सम्‍बन्‍ध में देयता नहीं होगी ।

1. गृहभेदन से हुई हानि या क्षति जहॉं बीमाकृत परिवार का कोई सदस्‍य प्रमुखत: या गौणत: सम्‍बन्धित हो ।

11. पशुधन, मोटर वाहनों तथा पैडल साइकिलों की हानि या क्षति ।

111. धनराशि , प्रतिभूतियों, टिकटों, कच्‍चा सोना चांदी, विलेखों, बंध पत्रों, विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, स्‍टाक तथा शेयर प्रमाण पत्रों, व्‍यवसाय सम्‍बन्‍धी लेखा-खातों, पाण्‍डूलिपियों, किसी भी प्रकार के दस्‍तावेजों, गैर जडे मूल्‍यवान पत्‍थरों तथा आभूषणों व मूल्‍यवान वस्‍तुओं को क्षति या हानि जब तक कि इनके बारे में खास तौर से जिक्र न किया गया हो ।

**खण्‍ड-11 आ गृह-भेदन – चौर्य(लारसेंनी ) एवं चेारी को छोड़कर**कंपनी बीमाकृत व्‍यक्ति को स्‍वउपयोगी हेतु किए गए स्‍तेय या चोरी को छोड़कर गृहभेदन से इसके परिसर में रखी हुई वस्‍तुओं को हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति करेगी।

**खण्‍ड-III**

**सर्व-जोखिम (आभूषण तथा मूल्‍यवान वस्‍तुएं)**

कम्‍पनी बीमाकृत व्‍यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्‍य को भारत में कहीं भी हुई दुर्घटना या विपत्ति के कारण आभुषण तथा मूल्‍यवान वस्‍तुओं की हुई हानि या क्षति के सम्‍बन्‍ध में क्षतिपूर्ति करेगी । शर्त यह है कि कम्‍पनी की देयता बीमे की किसी एक अवधि के दौरान किसी एक आभूषण/मूल्‍यवान वस्‍तु के सम्‍बन्‍ध में न तो इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट ऐसे आभूषण/मूल्‍यवान वस्‍तु के सामने लिखी बीमित राशि से अधिक होगी और न ही इसमें जिक्र की गई सभी मद्दों को मिलाकर उनकी बीमित राशि से अधिक होगी । परन्‍तु किसी आभूषण/मूल्‍यवान वस्‍तु के क्षतिग्रस्‍त हो जाने पर उसकी यदि मरम्‍मत कराई जा सकती हो तो कम्‍पनी ऐसे क्षतिग्रस्‍त आभूषण/मूल्‍यवान वस्‍तु को पूर्व दशा में लाने के लिए आवश्‍यक रुप से किये गये खर्चों की अदायगी करेगी जो कि ऐसे आभूषण/मूल्यवान वस्‍तु की बीमित राशि से अधिक नहीं होगी ।

यह स्‍पष्‍ट घोषित किया जाता है तथा करार किया जाता है कि इस खण्‍ड के परप्रेक्ष में औसत सम्‍बन्‍धी शर्तें हटा ली गई मानी जायेगी ।

**विशेष अपवाद:** कम्‍पनी की निम्‍नलिखित के सम्‍बन्‍ध में देयता नहीं होगी :-

1. लैन्‍स या गिलारा कांच अथवा उसके किसी भाग में अथवा/अन्‍यथा चीनी के सामान, संगमरमर ग्रामोफोन रिकार्ड तथा अन्‍य शीघ्र टूटने वाली या नाजुक स्‍वभाव वाली चीजों में दरार पडने या खरोंच लगने तथा/अन्‍यथा उसके टूटने के कारण हुई हानि या क्षति । परन्‍तु उस दशा में कम्‍पनी की देयता रहेगी यदि ऐसी हानि या क्षति रेलगाडी समुद्री जहाज, विमान या वाहन जिसके द्वारा ऐसी यात्रा सामान ले जाया जा रहा हो दुर्घटनाग्रस्‍त हो जाये ।
2. कीडे, फफूंद, वर्मिन या राफाई, रंगाई या मरम्‍मत करने की कोई प्रक्रिया या उस सम्‍पत्ति को पूर्व दशा में पुन: लाने से उद्भुत हानि या क्षति ।
3. बिजली या इलेक्‍ट्रानिक मशीन, उपकरणों, जुडनार फिटिंग (बिजली के पंखों, बिजली के घरेलू उपकरणो, वायरलेस सेटों, रेडियों, टेपरिकार्डरों, टेलीविजन सेटों तथा इस प्रकार के अन्‍य उपकरणों सहित) बिजली की फिटिंग के किसी भाग से अतिरेक चालन, अत्‍यधिक दबाव (एक्‍सेसिव प्रेशर) शार्ट सर्किटिंग, आर्सिग, स्‍वत: सेक (सेल्‍फ हीटिंग या बिजली लीक करने आदि या किसी कारण से उद्भुत हानि या क्षति (तडित शामिल हैं) ।
4. हाथ की घडी तथा दीवार घडी में यांत्रिक खराबी अथवा उनमें ज्‍यादा चाबी देने के कारण हानि या क्षति ।
5. कार से हुई चोरी परन्‍तु कम्‍पनी की देयता उस दशा में रहेगी जब कार पूर्ण रुप से बंद सालून टाइप की हो जिसमें सभी दरवाजे खिडकियां तथा बाहर निकलने के रास्‍ते ठीक तथा सुरक्षित रुप से ताला बंद हों ।
6. माल भाड़ा संविदा के अन्‍तर्गत किसी वाहन द्वारा ले जाने से हुई हानि या क्षति ।
7. पॉलिसी के अंतर्गत दावा स्‍वीकार्य होने पर प्रत्‍येक हानि/क्षति पर प्रथम रू. 2,500/-(दो हजार पॉंच सौ केवल)

**विशेष शर्तें**

1. यदि इस पालिसी के अन्‍तर्गत बीमा कराई गई वस्‍तुएं, जोडे या सैट के रुप में हो और उनका विशिष्‍ट भाग खो जाये या क्षतिग्रस्‍त हो जाये जो ऐसी वस्‍तु की विशेष कीमत को ध्‍यान में न रखकर कम्‍पनी की देयता न तो ऐसी वस्‍तु के विशिष्‍ट भाग की कीमत और न उसके जोडे या सैट की कीमत के आनुपातिक भाग से अधिक होगी ।
2. इस खण्‍ड के अन्‍तर्गत उल्लिखित बीमित राशी से किसी एक वस्‍तु या जोडे का मूल्‍य 10% से अधिक नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके बारे में अलग विनिर्देशन या उसकी कीमत का उल्‍लेख न किया गया हो ।
3. क्षतिपूर्ति का आधार – यदि दावा क्रय लागत या बाजार मूल्‍य लागत पर आधारित है तो 10 प्रतिशत (मेकिंग चार्जिज) से घटा दिया जाएगा

 **खण्‍ड IV – प्‍लेट ग्‍लास**

कम्‍पनी बीमाकृत व्‍यक्ति को उसके परिसर में लगे प्‍लेट ग्‍लास के किसी घटना में टूट जाने से हुई क्षति के सम्‍बन्‍ध में क्षतिपूर्ति करेगी । परन्‍तु बीमे की किसी एक अवधि में इस प्रकार हुई किसी हानि या सभी हानियों के सम्‍बन्‍ध में कम्‍पनी की देयता अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट राशि से अधिक नहीं होगी

# विशेष अपवाद: कम्‍पनी की निम्‍नलिखित के सम्‍बन्‍ध में देयता नहीं होगी :-

# अग्नि, तडि़त, विस्‍फोट, दंगा, हड़ताल, दुर्भावनाजन्‍य कृत्‍य, बाढ़, सैलाब, तूफान आदि से क्षति।

# बीमाकृत व्‍यक्ति के परिसर में कोई वस्‍तु हटाने, बदलने तथा/अथवा उसकी मरम्‍मत के दौरान टूट फूट अथवा क्षति ।

# अक्षरों की टूट-फूट जो गिलास के टूटने या उसे क्षति होने के परिणामस्‍वरुप न हुई हो।

# फ्रेमों की टूट-फूट या क्षति अथवा किसी भी किस्‍म के फ्रेम वाले काम की टूट-फूट जब तक उनके सम्‍बन्‍ध में स्‍पष्‍ट रुप से जिक्र किया गया हो।

# ग्‍लास की क्षति अथवा उसका विकृत होना अथवा उस पर खरोंच पडना परन्‍तु कम्‍पनी की देयता उस स्थिति में रहेगी ग्‍लास की पूरी मोटाई के उपर दरार पड गर्इ हो ।

# सादे ग्‍लास और साधारण स्‍तर के चमक वाले ग्‍लास को छोडकर किसी भी अन्‍य किस्‍म के ग्‍लास, उभरे बेल-बूटे वाले चांदीकृत अक्षरकृत साज-सज्‍जा युक्‍त तथा वक्रकृत ग्‍लास जब तक की उनके बारे में स्‍पष्‍ट रुप से जिक्र न किया गया हो ।

# ग्‍लास जिसे पूरी तरह तथा मजबूती से न लगाया गया हो, की टूट-फूट ।

#  व्‍यवसाय में रुकावट या विलम्‍ब हो जाने के परिणामस्‍वरुप हानि या क्षति, अथवा उसके प्रतिस्‍थापन से उदभूत अन्‍य हानि या चोट ।

# खण्‍ड - V घरेलू उपकरणों की टूट-फूट

# अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट घरेलू इलैक्ट्रिकल, इलैक्‍ट्रानिक या यांत्रिक उपकरणों या छोटे संयंत्रों की यांत्रिक तथा/अथवा इलैक्ट्रिकल टूट-फूट से तथा/अथवा केवल इसी कारण अप्रत्‍याशित तथा अचानक उस स्थिति में हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करेगी जब वे बीमाकृत व्‍यक्ति के परिसर में पडे या लगे हों शर्तें यह है कि किसी एक मद के सम्‍बन्‍ध में अपनी देयता बीमे के किसी एक अवधि के दौरान अनुसूची में ऐसी मद के सामने लिखी किसी बीमित राशि से अधिक नहीं होगी ।

**विशेष अपवाद**: कम्‍पनी की निम्‍नलिखित के संबंध में देयता नहीं होगी :-

1. इस बीमे के शुरू होने के समय मौजूद दोषों या कमियों जिनके बारे में बीमाकृत व्‍यक्ति को मालूम था, के कारण हुई हानि या क्षति । भले ही ऐसे दोषों या कमियों के बारे में कम्‍पनी की जानकारी हो या न हो ।
2. ऐसी वस्‍तुओं की हुई हानि या क्षति जिनके संबंध में उनका विनिर्माता या पूर्तिकर्ता इसके द्वारा या संविदा के अन्‍तर्गत जिम्‍मेदार हो ।
3. बीमा कराई गर्इ मद को हुई किसी क्षति के फलस्‍वरुप इसे मरम्‍मत की दुकान तक ले जाने तथा बीमाकृत व्‍यक्ति के परिसर तक वापस लाने संबंधी परिवहन खर्चे ।
4. बाह्य उपकरण जैसे एंटीना अथवा फिटिंग्‍स की चोरी से हुई हानि या क्षति
5. उपकरण के विखंडन या मरम्‍मत, उत्‍थापन के कारण या से उत्‍पन्‍न क्षति या हानि।
6. बीमाधारक द्वारा अनुबंध द्वारा आंकलित हानि जब तक कि ऐसी देयता ऐसे अनुबंध के होते हुए भी बीमाधारक से जुड़ी हुई न हो।
7. पॉलिसी के किसी अन्‍य खंड के अंतर्गत बीमित आपदा द्वारा बीमित मद को हुई हानि या क्षति।
8. 10 या अधिक वर्ष पुराना कोई भी घरेलू उपकरण बीमित नहीं है।
9. प्रत्‍येक हानि या क्षति जिसके संबंध में पॉलिसी के अंतर्गत दावा स्‍वीकार किया गया है, पहले 1000/- (एक हजार रूपये) बीमाधारक द्वारा स्‍वंय वहन किए जाएंगे।

# विशेष उपबन्‍ध

1. **बीमित राशि :** इस बीमे की यह अपेक्षा है कि अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट ऐसी मदों के सम्‍बन्‍ध में बीमित राशि की रकम भवन में रखी ऐसी वस्‍तुओं के प्रतिस्‍थापन की कीमत उसी प्रकार तथा क्षमता वाली वस्‍तुओं के बराबर होगी ।
2. **क्षतिपूर्ति का आधार:**(क) यदि बीमा कराये किसी मद के क्षतिग्रस्‍त हो जाने पर उसकी मरम्‍मत कराई जा सकती हो तो कम्‍पनी ऐसे क्षतिग्रस्‍त मद को पूर्व दशा में लाने के लिए अवाश्‍यक खर्चों की अदायगी करेगी । क्षति होने के तुरन्‍त पहले यदि मरम्‍मत की कीमत बीमा कराये गये मद की वास्‍तविक कीमत में बढ जाती है तो ऐसे दावे की अदायगी नीचे (ख) में दी गई व्‍यवस्‍था के अनुसार की जायेगी ।(ख) पूर्ण क्षति होने की दशा में वस्‍तु निर्माण की तारीख से प्रति वर्ष बतौर मूल्‍य ह्रास 10 प्रतिशत की कटोती की जायेगी । इस प्रकार बतौर मूल्‍य ह्रास काटी गई रकम उस मद के सम्‍बन्‍ध में जिसके सम्‍बन्‍ध में इस पालिसी के अन्‍तर्गत सकल हानि का दावा स्‍वीकार किया गया है, इस मद के बीमित राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

खण्‍ड V I

**निजी कम्‍प्‍यूटर / लैपटॉप**

**V I – (क) भौतिक हानि / लैपटॉप**

पॉलिसी के जारी रहते:**क)** निजी कम्‍प्‍यूटर और इसके उपसाधनों**ख)** डाटा वहन करने वाली सामग्री

विशेष रूप से अपवर्जित कारण के अलावा अन्‍य किसी कारण हुई कोई अदृश्‍यक, अचानक, भौतिक हानि या क्षति के लिए कंपनी बीमित को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी जबकि ये बीमित के परिसरों में स्थित या स्‍थापित हो तथा संस्‍थापन के बाद सामान्‍य उपयोग के दौरान हुई ऐसी क्षति के लिए कंपनी ऐसी क्षति की राशि का भुगतान करेगी या एक क्षतिग्रस्‍त भागों की अपनी इच्‍छानुसार अनुसची में कथित राशि तक की मरम्‍मत, पुनस्‍थापन या प्रतिस्‍थापन करेगी:

**विशेष अपवाद** :- निम्‍न के संबंध में कंपनी की कोई देयता नहीं होगी:

1. वर्तमान बीमा के आरंभ के समय बीमाधारक या उसके प्रतिनिधियों के संज्ञान में आने वाली किसी कमी या गलती के कारण हुई हानि या क्षति चाहे इन कमियों या गलतियों की जानकारी कंपनी को हो या न हो।
2. सामान्‍य विकृति, टूट-फूट के कारण या परिणामस्‍वरूप हुई हानि या क्षति, जंग लगने या खराब हालत जैसी वातावरणीय शर्तों क कारण हानि या क्षति
3. कार्य संबंधी विसफलताओं के विलोपन के संबंध में उपगत कोई लागत जब तक कि ऐसी विफलताएं बीमित मदों की अक्षतिपूर्तियोग्‍य हानि या क्षति के कारण न हुई हो।
4. बीमित वस्‍तुओं के रख-रखाव के संबंध में उपगत कोई लागत, रख-रखाव संबंधी ऐसे संचलनों के दौरान बदले गए भागों पर भी यह अपवर्जन लागू होगा।
5. सामग्री के डिज़ाईन में कोई कमी या कारीगरी या अन्‍य ऐसे किसी कारण से हानि या क्षति जिसके लिए बीमित वस्‍तु का निर्माता या आपूर्तिकर्ता कानूनी रूप से या संविदा के तहत उत्‍तरदायी हो।
6. किराए या भाड़े पर लिए गए उपकरण, जिसके लिए मालिक कानूनन या पट्टे और/या रख-रखाव अनुबंध के तहत उत्‍तरदायी हो, को हुई हानि या क्षति।
7. काम का पूर्णत: या आंशिक रूप से समाप्‍त हो जाना।
8. किसी भी प्रकार या विवरण की देयता या परिणामी क्षति।
9. पांच साल या इससे अधिक पुराना कोई भी कंप्‍यूटर बीमा योग्‍य नहीं है।
10. किसी भी ऐसी प्रत्‍येक हानि के होने पर, जिसके संबंध में इस पॉलिसी के अंतर्गत दावा किया गया है, केवल पहले रू.1,000(एक हजार रूपए) बीमाधारक स्‍वयं वहन करेगा।

**देय राशि**

बीमित वस्‍तु के क्षतिग्रस्‍त होने पर कंपनी यथोचित एवं आवश्‍यक खर्चों का भुगतान करेगी ताकि क्षतिग्रस्‍त वस्‍तु को अपनी उपयोगिता की पहले वाली असस्‍था में लाया जा सके। या यदि मरम्‍मत की लागत मशीन के वास्‍तविक मूल्‍य के बराबर हो या अधिक हो तो हानि घटने से तत्‍काल पूर्ण का वास्‍तविक मूल्‍य का भुगतान करेगी। निम्‍न के संबंध में कंपनी उस सीमा तक भुगतान भी करेगा जितनी सीमा तक इन खर्चों को बीमाराशि में विशेष रूप से शामिल किया गया हो:-

1. मरम्‍मत करने के उद्देश्‍य से की गई पुन:उत्‍थापन और विखंडित करने की लागत
2. मरम्‍मत की दुकान तक ले जाने एवं आने का सामान्‍य भाड़ा

**V I – (ख) डाटा के पुन:स्‍थापन की लागत:**

इस खण्‍ड (खण्‍ड V I) के अंतर्गत डाटा वहन करने वाली सामग्री या प्रोग्रामिंग में निहित डाटा को संरक्षित बीमित आपदाओं द्वारा हुई क्षति की स्‍थिति में, कंपनी ऐसे डाटा या प्रोग्राम को पुन:स्‍थापित करने हेतु बीमित को अनुसूची में कथित राशि तक पुन:स्‍थापित करने हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। यह संरक्षण तभी लागू होगा यदि ऐसे बीमित डाटा और प्रोग्रामों को बीमित के परिसर में रखा गया होगा।

**विशेष अपवर्जन**: निम्‍न के लिए कंपनी की कोई देयता नहीं होगा:-

1. मार्केट अनुदेशों में कथित अवधि से अधिक अवधि हेतु संग्रहित या उसके अनुसार संग्रहित नहीं किए गए डाटा वहन करने वाली सामग्री।
2. अनजान घटनाओं के परिणामत: विनाश, नाश या भ्रष्‍टाचार।
3. मैग्‍नेटिक क्षेत्रों के जानकारी की हानि से तथा आंकड़ों को हटाने या जानकारी के असावधानी से निरस्‍त करने, लेबलिंग या शामिल करने, पंचिंग, गलत प्रोग्रामिंग से उत्‍पन्‍न कोई लागत।
4. इसके घटित होने के पश्‍चात् छ: कैलेण्‍डर माह से अधिक पाई गई हानि।
5. डाटा/प्रोग्रामिंग में परिवर्तन या संशोधन हेतु व्‍ययित लागत।
6. डाटा/प्रोग्रामिंग का अन्‍तर्निहित मूल्‍य
7. उपयोगकर्ता द्वारा विनियमित न किए जा सकने वाले प्रोग्राम।
8. बीमित क्षति की प्रत्‍येक घटना के प्रथम 1000/- (एक हजार रूपए) केवल को स्‍वयं वहन करेगा जिसके संबंध में पॉलिसी के अंतर्गत दावा स्‍वीकार किया गया है।

**देय राशि**

कंपनी डाटा प्रोसेसिंग प्रचालनों को सामान्‍य तरीके से जारी किए जाने की अनुमति हेतु आवश्‍यक तथा घटना से पूर्व विद्यमान उस शर्त के समान बीमित बाह्य डाटा और/या प्रोग्राम को सुरक्षित रखने के उद्देश्‍य हेतु कठोरता से घटना की तिथि से 12 (बारह) माह की अवधि के भीतर बीमित द्वारा व्‍ययित किन्‍हीं खर्चों की क्षतिपूर्ति करेगी।

**VI – (ग) पोर्टेबल कम्‍प्‍यूटर (लैपटॉप):**

**संरक्षण का क्षेत्र**

कंपनी अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट पोर्टेबल कम्‍प्‍यूटर को तथा बीमित से संबंधित तथा बीमित की व्‍यक्तिगत अभिरक्षा में उसके पारिवारिक सदस्‍य जबकि खण्‍ड 6ए के अंतर्गत्‍ संरक्षण के अनुरूप व्‍यवसाय या पेशे के उद्देश्‍य हेतु विश्‍व में कहीं पर भी इस पॉलिसी की अवधि के दौरान क्षति के विरूद्ध बीमित को क्षतिपूर्ति करेगी। कंपनी लैपटॉप कम्‍प्‍यूटर के सामान्‍य कार्य हेतु लिए जाने वाले डाटा वहन सामग्री की किसी हानि या क्षति का भी भुगतान करेगी।

**बशर्ते कि:**

1. कंपनी के देयता अनुसूची में प्रत्‍येक मद के समक्ष बीमित राशि तक सीमित होगी।
2. यह उप खण्‍ड इन आपदाओं को संरक्षित करता है तथा खण्‍ड V I – (क) व V I – (ख) की उन नियम, शर्तों, आपदाओं, वारंटी व प्रावधानों के तहत है।

नोट: खण्‍ड V I – (क) व V I – (ग) की उक्‍त दरें वैद्य है जबकि उपकरण वार्षिक अनुरक्षण संविदा के तहत है या सक्षम आंतरिक अनुरक्षण सुविधा उपलब्‍ध है। तदापि यदि उपकरण एएमसी के अंतर्गत नहीं है तथा कोई भी सक्षम आंतरिक अनुरक्षण सुविधा नहीं है तथा बीमित उपकरण के संरक्षण का प्रस्‍ताव करता है तो दरों में 50%(पचास प्रतिशत) की अभिवृद्धि की जाएगी।

**खण्‍ड V II**

**पेडल साईकिल**

1. कम्‍पनी बीमाकृत व्‍यक्ति को उसके बीमा कराये गये पैडल साईकिल के सम्‍बन्‍ध में निम्‍नलिखित से होने वाली हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति करेगी ।
2. अग्नि, तडित या बाह्रय विस्‍फोट ।
3. बलवा, हडताल या दुर्भावनापूर्ण कार्य ।
4. सेंधमारी तथा/अथवा गृभेदन या चोरी ।
5. बाह्रय साधनों से हुई आकस्मिक दुर्घटना ।
6. बाढ, चक्रवात, तुफान, तथा इसी तरह के अन्‍य प्राकृतिक तथा मौसमी प्रकोप ।
7. भूक्‍म्‍प से उद्भूत, अग्नि तथा/अथवा झटका ।

शर्त यह है कि कम्‍पनी की देयता बीमे की किसी एक अवधि में किसी एक साईकिल की हानि या क्षति के संबंध में ऐसे साईकिल के लिए अनुसूची में दिखाई गई बीमित राशि से अधिक नहीं होगी ।

1. कम्‍पनी उन सभी राशियों के संबंध में क्षतिपुर्ति करेगी, जिनके लिए बीमाकृत व्‍यक्ति की मुआवजे के रुप में विधिक देयता होगी और कम्‍पनी को लिखित सहमति से ऐसे मुकदमेंबाजी पर किये गये खर्चों जो बीमाकृत व्‍यक्ति के परिवार के सदस्‍य या ऐसे व्‍यक्ति जो बीमाकृत व्‍यक्ति की सेवा में रत हो या पैंडल साईकिल से ले जाया जा रहा हो, को छोडकर किसी व्‍यक्ति की आकस्मिक मृत्‍यु या शारीरिक चोट से सम्‍बन्धित हो तथा/अथवा इस पालिसी के अन्‍तर्गत बीमा कराये गये पैडल साईकिल से घटना होने या उसमें ऐसी सम्‍पत्ति को आकस्मिक क्षति जो न बीमाकृत व्‍यक्ति की हो, न उसके अभिरक्षण में हो और न नियन्‍त्रण में हो और न ही उसके परिवार के किसी सदस्‍य हो और न ही बीमाकृत व्‍यक्ति की सेवा में रत व्‍यक्ति की हो और न ही ऐसे पैडल साईकिल पर ले जाया जा रहा हो, की हो । शर्त यह है कि कम्‍पनी की किसी ऐसे मुआवजे की देयता तथा उससे सम्‍बन्धित मुकदमेबाजी के खर्च बीमा पालिसी के किसी अवधि के अन्‍तर्गत 10,000 रूपये (केवल इस हजार रूपये) तक सीमित है ।

**विशेष अपवाद :** कम्‍पनी की निम्‍नलिखित के सम्‍बन्‍ध में देयता नहीं होगी:-

1. उस दशा में पैडल साइकिल को या उसके द्वारा या उसके संबंध में हुई कोई दुर्घटना, हानि क्षति या देयता जब पैडल साईकिल किराये के लिये या इनाम के लिए या भारत से बाहर प्रयोग में हो ।
2. ज्‍यादा बोझ, खींचाव या यांत्रिक टूट-फूट से हुई क्षति ।
3. पैडल साईकिल के उपकरणों को चोरी से हुई हानि या क्षति जब तक कि पैडल साईकिल उसी समय पर न चुराया गया हो ।
4. दौड लगाने या होड लगाने के लिए प्रयोग करने से होने वाली हानि क्षति या देयता ।
5. पॉलिसी के अन्‍तर्गत यदि दावा स्‍वीकार किया गया है तो प्रत्‍येक हानि या क्षति के प्रथम रूपये 250( दो सौ पाचास केवल) बीमाधारक स्‍वंय वहन करेगा।

**विशेष शर्तें :** जब पैडल साईकिल किसी की देखरेख में न हो तो वह सुरक्षित ढंग से ताला बन्‍द हो ।

**खण्‍ड V III**

**यात्रा सामान**

कम्पनी बीमाकृत व्‍यक्ति तथा/अथवा उसके साथ स्‍थायी रुप रहने वाले उसके परिवार के सदस्‍यों को ऐसे व्‍यक्तिगत सामान के सम्‍बन्‍ध में क्षतिपूर्ति करेगी जब वह उसे भारत में कहीं भी छुटिट्यों में यात्रा करने के दौरान ले जाये जाने के परिणामस्‍वरुप किसी आकस्मिक घटना या विपत्ति से हानिग्रस्‍त, क्षतिग्रस्‍त या नष्‍ट हो गया हो । शर्त यह है इस प्रकार हानिग्रस्‍त या नष्‍ट सम्‍पत्ति के सम्‍बन्‍ध में कम्‍पनी की देयता एसी हानि होने के समय उसके वास्‍तविक मूल्‍य से अधिक नहीं होगी । परन्‍तु कम्‍पनी की देयता बीमे की किसी एक अवधि में अनुसूची की प्रत्‍येक मद के सामने विनिर्दिष्‍ट राशि से अधिक नहीं होगी ।**विशेष अपवाद :** कम्‍पनी की निम्‍नलिखित के सम्‍बन्‍ध में देयता नहीं होगी:-

1. लेन्‍स या कांच चाहे वह किसी अन्‍य उपकरण का भाग हो या न हो या चीनी के समान संगमरमर, ग्रामोफोन रिकार्ड त्‍था अन्‍य शीघ्र टूटने वाली या नाजुक स्‍वभाव वाली चीजों में दरार पडने, खरोंच लगने तथा/अन्‍यथा उनके टूटने के कारण हुई हानि या क्षति परन्‍तु उस दशा में कम्‍पनी देयता रहेगी यदि ऐसी हानि या क्षति समद्री जहाज, रेलगाडी वाहन या हवाई जहाज जिसके द्वारा ऐसा यात्रा सामान ले जाया जा रहा हो, के दुर्घटनाग्रस्‍त होने के फलस्‍वरुप हो ।
2. कीडे, फंफूद, वर्मिन या सफाई, इंगाई या मरम्‍मत करने की प्रक्रिया या यात्रा सामान को पूर्व दशा में पुन: माने से उद्भूत हानि या क्षति ।
3. बिजली की मशीन, उपकरण हानि या क्षति जुडनार, या फिटिंग का (वायरलैस सैट, रेडियो टेलीविजन सैटों तथा टेपरिकार्डरों के साथ) अतिरेक चालन/इस्‍तेमाल करने, अत्‍यधिक दबाव, शार्ट सर्किट, आसिंग, आत्‍मताप या किसी भी कारण से बिजली के लीक करने से उद्भुत हानि या क्षति (तडित शामिल है) ।
4. हाथ की घडी तथा दीवार की घडी में यान्त्रिक खराबी अथवा उनमें ज्‍यादा चाबी देने के कारण हानि या क्षति ।
5. कार से हुई चोरी परन्‍तु कम्‍पनी की देयता उस दशा में रहेगी जब कार पूर्ण रूप से बन्‍द साल्‍लून टाईप की हो जिसमें सभी दरवाजे खिडकियां तथा बाहर निकलने के रास्‍ते ठीक तथा सु‍रक्षित रूप से ताला बन्‍द हो ।
6. माल संविदा के अन्‍तर्गत किसी वाहन द्वारा ले जाने से हुई हानि या क्षति ।
7. धनराशि, प्रतिभूतियों, पाण्‍डूलिपियों, विलेखों, बंधपत्रों, विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, स्‍टाक या शेयर प्रमाण पत्रों, टिकटों, व्‍यवसाय के लेखा खातों या दस्‍तावेजों, आभूषण घडियों, फरों, मूल्‍यवान धातुओं, पत्‍थरों, सोने तथा चांदी के आभूषणों, यात्रा टिकटों, चैकों तथा बैंक ड्राफ्रटों की हुई हानि या क्षति ।
8. यात्रा शुरू करने पर ऐसी वस्‍तुओं की हुई हानि या क्षति जो किसी भी बीमित सामान का भाग न बनती हों जब कि उनकी स्‍पष्‍ट रुप से जिक्र न किया गया हो ।
9. उपभोग्‍य वस्‍तुओं की हुई हानि, विनाश या क्षति ।
10. समुद्र यात्रा तथा/अथवा यात्रा के समय इस्‍तेमाल में लाई जा रही छडियां, बक्‍नुएदार चमडे की पटिट्यों, छतरियों, सनशेडों, पंखों डेक कुर्सियों जैसे बिना बांध ले जाने वाली वस्‍तुओं अथवा शरीर पर पहने कपडों या ले जाई जा रही वस्‍तुओं की हुई हानि या क्षति ।
11. तरल पदार्थों, तेल तथा इस प्रकार की अन्‍य तरल सामग्रियों के लीक होने, श्‍लाका लगने या विस्‍फोट होने या खतरनाक स्‍वरुप या क्षति पहुंचाने वाली वस्‍तुओं के कारण या उद्भूत हानि, विशाश या क्षति ।
12. गांव या शहर की उस म्‍युनिसिपल सीमा में जहां बीमाकृत व्‍यक्ति स्‍थाई रुप से रह रहा हो, के अन्‍दर यात्रा करते हुए उसके निजी यात्रा सामान को हुई हानि या क्षति ।
13. पॉलिसी के अन्‍तर्गत यदि दावा स्‍वीकार किया गया है तो प्रत्‍येक हानि या क्षति के प्रथम रूपये 1000( एक हजार केवल) बीमाधारक स्‍वंय वहन करेगा।

**खण्‍ड IX**

**व्‍यक्तिगत दुर्घटना**

**संरक्षण का क्षेत्र**

यदि बीमाकृत व्‍यक्ति या स्‍थाई रुप से उसके साथ रह रहे उसके परिवार के सदस्‍यों, जिन्‍हें अनुसूची में नामित किया गया है, को एकमात्र तथा सीधी आकस्मिक घटना, हिंसात्‍मक बोझ और प्रत्‍यक्ष साधनों से 12( बारह) महीनों के भीतर शारीरिक चोट पहुंचे तथा जिनके परिणामस्‍वरुप इसके बाद उल्लिखित मृत्‍यु या निशक्‍तता हो जाये तो कम्‍पनी बीमाकृत व्‍यक्ति को अनुसूची में नामित व्‍यक्ति अथवा उसके समनुदेशित या विधिक प्रतिनिधि को आगे लिखे अनुसार राशि या राशियां देनी होगी

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | लाभों की सूची | व्‍यक्तिगत बीमाकृत पूंजी का प्रतिशत (सी.एस.आई्) |
| 1 | मृत्‍यु  | 100% |
| 2 | बीमाकृत व्‍यक्ति चोट लगने के कारण किसी भी प्रकार के रोजगार या व्‍यवसाय के लिए स्‍थाई रूप से पूर्णत: तथा नितान्‍त असमर्थ हो जाता है, तो | 100% |
| 3 | समग्र एवं अशेध्‍य हानि | 100% |
| 1) | दोनों आँखों की ज्‍योति का पूरी तरह से चला जाना, दोनों पूरे हाथ या दोनों पैर अथवा एक ऑंख की ज्‍योति खोना तथा पूरा हाथ/पैर की क्षति होना | 100% |
| 2) | शरीर से अलग हुए बिना दो हाथों या पैरों के प्रयोग से वंचित होना, एक हाथ तथा एक पैर या एक आँख की ज्‍योति का खोना तथा इस प्रकार से एक हाथ/एक पैर, | 100% |
| 4 | समग्र तथा अशोध्‍य हानि  |  |
|  | एक ऑांख की ज्‍योति पूर्ण रूप से चले जाना या वास्‍तविक रूप से एक पूरा हाथ या एक पूरा पैर शरीर से अलग होना  | 50% |
|  | शरीर से अलग हुए बिना हाथ या पैर के प्रयोग से बिल्‍कुल वंचित हो जाना  | 50% |
|  | श्रवण शक्ति(दोनों कानो की ) बंद हो जाना | 50% |
| 5 | बीमाकृत व्‍यक्ति को चोट लगने के फलस्‍वरूप अस्‍थाई समग्र अशक्‍तता होने पर अस्‍पताल में भर्ती होने की समयावधि से लेकर अधिकतम 52 सप्‍ताह तक  |  प्रति सप्‍ताह बीमाकृत पूंजी राशि का 1% या रूपये 5,000/- ( पॉंच हजार केवल), जो भी कम हो |
| 6 | पॉलिसी में दी गई परिभाषा के अनुसार बीमाकृत व्‍यक्ति को अपने घर से बाहर दुर्घटना से मृत्‍यु होने की दशा में बीमाकृत व्‍यक्ति के मृत शरीर को उसके घर तक ले जाने में हुई खर्च की रकम को कंपनी प्रतिभूति करेगी जो अधिक-से-अधिक बीमाकृत पूंजी की राशि का 2%(दो प्रतिशत) या रूपये 2,500/-( दो हजार पॉंच सौ केवल) जो भी इनमें से कम हो, होगी। इसमें अंतिम संस्‍कार का खर्च भी शामिल है। |
| 7  | इसके अतिरिक्‍त कंपनी दुर्घटना के कारण किसी भी बीमित व्‍यक्ति के कपड़ों को हुई क्षति के लिए रू. 1,000/- (एक हजार केवल) किसी एक व्‍यक्ति को उपर वर्णित सीमा के अधीन भुगतान करेगी।  |
| 8 | पॉलिसी में परिभाषित दुर्घटना के कारण कंपनी बीमित व्‍यक्ति को अस्‍पताल में पहुंचाने के लिए एम्‍बुलेंस खर्च किसी एक व्‍यक्ति के लिए रू. 1,000/- (एक हजार केवल) की सीमा के अधीन भुगतान भी करेगी।  |

एक चोट के लगने के फलस्‍वरुप 104 सप्‍ताह से अधिक जो ऐसी असमर्थता के प्रारम्‍भ की तारीख से गिनी जायेगी, देय नहीं होगी और राशि किसी स्थिति में भी बीमाकृत पूंजी की ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी ।7. पालिसी में दी गई परिभाषा के अनुसार बीमाकृत व्‍यक्ति को अपने घर से बाहर दुर्घटना से मृत्‍यु होने की दशा में बीमाकृत व्‍यक्ति के मृत शरीर को उसके घर तक ले जाने में हुई खर्च की रकम की कम्‍पनी प्रतिभूति करेगी जो ज्‍यादा से ज्‍यादा बीमाकृत पूंजी की राशि का 2 प्रतिशत या 1,000 रुपये इनमें से जो कम हो, होगी ।

**विशेष प्रावधान**

पॉलिसी के इस खण्‍ड के अंतर्गत 20 प्रतिशत अतिरिक्‍त प्रीमियम का भुगतान करके चोट लगने से उत्‍पन्‍न दावा, जो कि पॉलिसी में स्‍वीकार्य हो, बीमित व्‍यक्ति द्वारा किए गए वास्‍तविक चिकित्‍सा व्‍यय की प्रतिपूर्ति को कवर किया जा सकता है या 10 प्रतिशत पूंजीगत बीमित राशि या स्‍वीकृत दावा राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम होगी।

**विशेष अपवाद:**कम्‍पनी की इस पालिसी या खण्‍ड के अन्‍तर्गत निम्‍नलिखित के सम्‍बन्‍ध में देयता नहीं होगी:-

1. उसी अवधि की निशक्‍तता के सम्‍बन्‍ध में पूर्व कथित 1 से 5 प्रसुविधाओं के अन्‍तर्गत मुआवजा ।
2. प्रसुविधा (1,2, 3, 4,5) में किसी एक के अन्‍तर्गत दावा स्‍वीकार करके देय कोई अन्‍य भुगतान ।
3. साप्‍ताहिक मुआवजे के भुगतान के लिए जब तक की उसकी कुल रकम का पता न लगा लिया गया हो और उनके सम्‍बन्‍ध में स‍हमति न हुई हो ।
4. एक भुगतान के लिए, जो किसी एक बीमे की अवधि के दौरान इस पालिसी के अन्‍तर्गत एक से ज्‍यादा दावा पेश करने के फलस्‍वरुप इस पालिसी की प्रसुविधा (1) के तहत राशि जो कम्‍पनी की अधिकतम देयता है, अधिक हो।
5. साशय आत्‍म चोट, आत्‍महत्‍या या आत्‍महत्‍या के प्रयास से, मादक द्रव्‍य पदार्थ के प्रभाव से , किसी हवाई जहाज में कार्यरत अथवा उसमें उपर चढते या उतरते या यात्रा करते समय संसार भर में कहीं भी विधिवत लाईसेंस शुदा मानक हवाई जहाज में (किराया देकर या अन्‍यथा) यात्रा कर रहे यात्री को छोडकर
6. प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रुप से रतिजन्‍य बीमारियों अथवा विक्षिप्‍त मानसिक स्थिति से
7. शिशु जन्‍म या गर्भ धारण या उसके फलस्‍वरुप प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रुप से योगजनित अपवृद्धि होने या लम्‍बा होने से मृत्‍यु या निशक्‍तता ।
8. बीमाकृत व्‍यक्ति द्वारा आपराधिक आशय से कानून भंग करने से उद्भूत या उसके फलस्‍वरूप व्‍यक्ति की मृत्‍यु चोट या निशक्‍तता की बाबत मुआवजे का भुगतान।

**खण्‍ड 9 की व्‍याख्‍या**

1. जैसा कि अनुसूची में वर्णित है बीमित व्‍यक्ति से तात्‍पर्य है बीमित या उसके परिवार का आश्रित सदस्‍य जिसकी आयु 05 वर्ष तथा 65 के बीच हो।
2. अस्‍पतालीकरण अवधि से तात्‍पर्य उस समयावधि से है जो बीमित दुर्घटना के कारण से अस्‍थाई समग्र विकलांगता के लिए अस्‍पताल में रहता है तथा वह रोजगार व व्‍यवसाय के लिए पूर्णतय: असमर्थ हो। इस खण्‍ड में अस्‍थाई समग्र विकलांगता को अस्‍पताल से छुट्टी की अवधि के बाद से लाभों को अपवर्जित किया जाएगा।
3. प्रसुविधा तालिका में मद सं. 3 तथा 4 के अंतर्गत भॉतिक पृथक्‍कीकरण का तात्‍पर्य कलाई के ऊपर तथा या हाथ और पैर के टखने के ऊपर के भागों का अलग होना है।

संचयी बोनस :पालिसी के खण्‍ड (1), (2), (3) तथा (4) अर्थात आकस्मिक घटना के परिणामस्‍वरुप लगी चोटों से हुई मृत्‍यु अंग/अंगों की हानि या आंख की ज्‍योति का चला जाना तथा स्‍थाई पूर्ण निशक्‍तता के अन्‍तर्गत देय मुआवजा उस प्रत्‍येक पूर्ण वर्ष की अवधि में 5% तक बढा दिया जायेगा, जिसमें पालिसी प्रभावी रही है । परन्‍तु ऐसी दुर्घटना से पूर्व जब बीमाकृत पूंजी राशि देय हो जाती है ऐसी वृद्धि की रकम इसकी अनुसूची में उल्लिखित बीमाकृत पूंजी राशि के 50% से अधिक नहीं होगी ।

इस खण्‍ड से न तो इस आशय में परिवर्तन आयेगा कि यह बीमा पालिसी 12 महीनों की अ‍वधि की होती है और न ही कम्‍पनी के इस आशय के अधिकार में परिवर्तन आयेगा कि बीमा के नवीकरण को अस्‍वीकार किया जा सकता है या इस पालिसी का रद्द नहीं किया जा सकता है जैसा कि इसके बाद व्‍यवस्‍था की गई है ।

यदि पालिसी की अवधि के समाप्‍त होने के 30 दिनों के भीतर उसका नवीकरण करा लिया जाता है तो अर्जित संचयी बोनस समाप्‍त नहीं होगा ।

**खण्‍ड x**

**सार्वजनिक देयता**

कम्‍पनी बीमाकृत व्‍यक्ति की उस राशि की क्षतिपूर्ति करेगी जिसका निजी गृहस्‍वामी जिसका अनूसूची में विनिर्दिष्‍ट परिसर के लिए उसे अदा करने की विधिक देयता होगी । ( यह देयता अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट राशि के अधीन होगी ।

(अ) मुआवजे तथा मुकदमा करने के सम्‍बन्‍ध में बीमाकृत व्‍यक्ति द्वारा किये गये वे खर्चे जो बीमाकृत की नौकरी या उसके परिवार के सदस्‍य के अतिरिक्‍त किसी व्‍यक्ति की आकस्मिक दुर्घटना से मुत्‍यु या किसी शारीरिक चोट के सम्‍बन्‍ध में कम्‍पनी की लिखित सहमति से किये गये हो तथा/अथवा बीमाकृत व्‍यक्ति अथवा उसके किसी परिवार के सदस्‍य या किसी अन्‍य व्‍यक्ति की जो उसके साथ स्‍थाई रुप से रह रहा हो, गलती या असावधानी के कारण से या सम्‍पत्ति को उस स्थिति में आकस्मिक क्षति जो अनुसूची में वर्णित परिसर में बीमाकृत व्‍यक्ति के व्‍यवसाय के सम्‍बन्‍ध में कोई कार्य करते हो । इस सम्‍बन्‍ध में मिलने वाली मुआवजे की राशि किसी एक घटना के फलस्‍वरुप हुई एक दुर्घटना या एक से अधिक दुर्घटनाओं के लिए बीमे की किसी एक अवधि 25,000 रुपये (केवल 25 हजार रुपये) तक सीमित रहेगी ।

(आ) अनुसूची में नामित बीमाकृत व्‍यक्तियों के कर्मचारियों जिन्‍हें घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 या उसके किसी संशोधन या लोक विधि के अन्‍तर्गत कार्यरत किए हों उस स्थिति में मुआवजा जब उसकी मृत्‍यु या शारीरिक चोट उनके नियोजन के फलस्‍वरुप और उसके दौरान में हुई हो।

सार्वजनिक देयता खण्‍ड के परिप्रेक्ष्‍य में निम्‍नलिखित कारणों/परिस्थितियों के अन्‍तर्गत तृतीय पक्षकार को शारीरिक चोट लगने व क्षति होने के सम्‍बन्‍ध में कम्‍पनी की देयता नहीं होगी ।

1. बीमाकृत व्‍यक्ति के व्‍यवसाय या व्‍यापार या
2. अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट परिसरों में परिवर्तन, परिवर्धन या मरम्‍मत या सजावट करते हुए
3. करार के जरिये बीमाकृत व्‍यक्ति द्वारा धारण की गई देयता जब तक कि ऐसी देयता करार न होने पर भी बीमाकृत व्‍यक्ति की होती ।
4. दुर्घटनायें जो बीमाकृत व्‍यक्ति के पशुओं, वाहनों, विमान, जहाज, नौकाओं या किसी प्रकार के यान (क्राफट) के स्‍वामित्‍व, कब्‍जे या अभिरक्षण से या उसकी ओर से प्रत्‍यक्षत: या अप्रत्‍यक्षत: सम्‍बद्ध, उद्भूत अथवा सम्‍पृक्‍त होने के कारण हो।
5. कर्मकार प्रतिकार बीमा के परिप्रेक्ष्‍य में कम्‍पनी की देयता उस व्‍याज तथा/अथवा जुमनि के सम्‍बन्‍ध में नहीं होगी जो बीमाकृत व्‍यक्ति के उपर कर्मकार प्रतिकर अधिनियत, 1923 तथा उक्‍त अधिनियत के संशोधन के अन्‍तर्गत दी गई अपेक्षाओं का पालन न करने के फलस्‍वरुप लगा हो ।

**‘’इस पालिसी के मामले में किसी कारणवश कोई विधिक समस्‍या उत्‍पन्‍न होने के फलस्‍वरुप मतभेद के निपटाने के लिए मामला माध्‍यस्‍थम हेतु या न्‍यायालय में जाने पर प्रशुल्‍क सलाहकार समिति द्वारा मूल रुप से तैयार किया गया पालिसी फार्मों का अंग्रेजी पाठ ही मान्‍य होगा ‘’ ।**